



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-81

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 263209 दिनांक 24/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sumit Kumar Goyal S/o Ramesh Kumar Goyal एवं Amit Kumar Goyal Ramesh Kumar Goyal	गैदा लाल पुत्र मंगला राम	63	133.51 SQ. YARD	Cooperative	ANAND VIHAR Sector/Block-A	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जयपुर रेल्वेमेन हाउसिंग की योजना आनन्द विहार के भूखण्ड संख्या ए-63 क्षेत्रफल 138.88 व.ग. की लीजडीड दिनांक 08.06.1994 को गैदा लाल पुत्र मंगला राम के नाम से जारी की गयी थी। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का जरिये रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम दिनांक 26.07.1999 को गैदा लाल पुत्र मंगला राम द्वारा सीता देवी पत्नी नत्थुमल गंगवानी के पक्ष में किया गया। तत्पश्चात् उक्त लीजडीड को मुख्त्यारनामा के आधार पर दिनांक 25.10.2001 को पुनर्वध किया गया। तत्पश्चात्



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2002 को सीता देवी पत्नी नत्थुमल गंगवानी बैहसियत मुख्त्यारआम गैदा लाल पुत्र मंगला राम द्वारा रमेश कुमार गोयल पुत्र लीलाराम गोयल को कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 27.11.2015 को रमेश कुमार गोयल का एवं दिनांक 08.06.2024 को रमेश कुमार गोयल की पत्नी शकुन्तला देवी का निधन हो गया है। उनके वारिसान श्री सुमित कुमार गोयल एवं अमित कुमार गोयल पुत्रान स्व. रमेश कुमार गोयल द्वारा लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड एंव नाम हस्तांतरण बाबत आवेदन किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Sumit Kumar Goyal S/o Ramesh Kumar Goyal एवं Amit Kumar Goyal Ramesh Kumar Goyal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावें। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।